भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4225
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

सरकारी अधिवक्ताओं के रूप में पैनलबद्ध करना

4225. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में पैनलबद्ध अधिवक्ताओं के पदों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में रिक्त पदों की राज्यवार संख्या कितनी हैं ;

(ख) केंद्र सरकार के तहत पैनलबद्ध अधिवक्ताओं के पदों की संख्या और वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की मौजूदा रिक्तियों को भरने और कुशल कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) केंद्र सरकार के तहत अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए स्थापित किसी विशिष्ट दिशानिर्देश या मानदंड का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : विधि कार्य विभाग देश में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए अधिवक्ताओं को साधारणतया तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, पैनलबद्ध करता है। ऐसे कई प्रवर्ग हैं, जिनमें विधि कार्य विभाग अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध करता है और ऐसे पैनलबद्ध अधिवक्ताओं को सामूहिक रूप से भारत संघ के लिए 'पैनल परामर्शी' कहा जाता है। पैनल परामर्शीयों की नियुक्ति किसी सिविल पद पर नहीं की जाती है। उन्हें विधि कार्य विभाग की लागू फीस संरचना के अनुसार उनकी सेवाओं के बदले मामला -दर- मामला आधार पर वृत्तिक फीस और मासिक प्रतिधारण फीस (पैनल परामर्शीयों के कुछ प्रवर्गों पर लागू) का संदाय किया जाता है।

उपर्युक्त विवरण की दृष्टि में, स्वीकृत संख्या की अवधारणा 'पैनल परामर्शी ' की दशा में लागू नहीं होती है। तथापि, विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में केंद्रीय सरकार के मुकदमों के संचालन के लिए समय-समय पर अपेक्षानुसार संख्या में विधि कार्य विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों/ अधिकरणों के लिए अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध किया जाता है। पैनल परामर्शीयों की वर्तमान संख्या का राज्य-वार चार्ट उपाबंध पर संलग्न है।

(ग) : उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) : विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, कोई अधिवक्ता जो विधिज्ञ परिषद् में नामांकित है और अपनी अर्हता, अनुभव, प्रतिष्ठा, विशेषज्ञता, वृत्तिक सक्षमता और बार में स्थिति के संबंध में उपयुक्त है, उसे माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष केंद्रीय सरकार के मुकदमे के संचालन के लिए पैनलबद्ध किया जाता है।

****

उपाबंध

विभिन्न न्यायालयों/ अधिकरणों के समक्ष विधि कार्य विभाग के पैनल परामर्शीयों **की राज्य-वार सूची**

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**पैनल काउंसलों की कुल संख्या**
1.	अंदमान और निकोबार	13
3.	आंध्र प्रदेश	40
4.	अरुणाचल प्रदेश	11
5.	असम	49
6.	बिहार	147
7.	चंडीगढ़	336
8.	छत्तीसगढ़	37
9.	दादरा नगर हवेली	0
10.	दमण और दीव	0
11.	दिल्ली	2322
	(भारत के उच्चतम न्यायालय सहित)	
12.	गोवा	4
13.	गुजरात	34
14.	हरियाणा	81
15.	हिमाचल प्रदेश	77
16.	जम्मू-कश्मीर	88
17.	झारखंड	100
18.	कर्नाटक	227
19.	केरल	293
2.	लद्दाख	1
20.	लक्षद्वीप	6
21.	मध्य प्रदेश	184
22.	महाराष्ट्र	460
23.	मणिपुर	19
24.	मेघालय	3
25.	मिजोरम	1
26.	नागालैंड	5
27.	ओडिशा	194
28.	पुडुचेरी	0
29.	पंजाब	87
30.	राजस्थान	434
31.	सिक्किम	2
32.	तमिलनाडु	330
33.	तेलंगाना	216
34.	त्रिपुरा	57
35.	उतर प्रदेश	731
36.	उत्तराखंड	39
37.	पश्चिमी बंगाल	683
	कुल	**7311**

टिप्पण : उपरोक्त के अलावा, विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष आयकर मामलों के संचालन के लिए देश भर में कुल 267 अधिवक्ताओं को स्थायी परामर्शी के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पैनलबद्ध किया गया है।